सं.24/244/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 2 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री प्रवेश कुमार,
535/6, जागृति विहार,
मेरठ, उत्तरप्रदेश।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 09.06.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 25.06.2014 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपका उक्त आवेदन पत्र इस मंत्रालय में प्रधान मंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ था । आपके द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु (क) से (घ) में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत का राष्ट्रगान "जन गण मन" भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था तथा गीत "वन्दे मातरम्" को इसके समान दर्जा प्राप्त है । गीत "वन्दे मातरम" के गायन के लिए कोई दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रतिः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उपरोक्त आवेदन पत्र की एक प्रति के साथ इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

3123/14 - 12 June 14

URGENT

Diary No. 17999
& Date 11.06.14
Last Date 16/06/14
For सूचना अधिकारी

3123/14

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
11 JUN 2014
डाक अनुभाग
DAK SECTION

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय

प्रधानमन्त्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली (भारत)

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि सूचना आवेदक प्रवेश कुमार 535/6 जागृति-विहार मेरठ उ०प्र० सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "वंदेमातरम्" गीत के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। आप से अनुरोध है कि आप सूचना आवेदक को निम्न सूचनाएं उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सूचनाएं बिन्दु :-

MHA (क) क्या "वंदेमातरम्" गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है?

(ख) क्या भारत के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों के लिए "वंदेमातरम्" गीत का गान भारतीय संविधान के अनुसार अनिवार्य है?

(ग) यदि कोई जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति "वंदेमातरम्" गीत के गान के समय जान-बूझकर गान को बीच में छोड़कर या गान के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सभा या समारोह आदि को छोड़कर चला जाता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार क्या कार्यवाही का प्रावधान है?

(घ) यदि "वंदेमातरम्" गीत भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं है तो यह भारतीय संसद एवं अन्य संवैधानिक सभाओं आदि में क्यों गाया जाता है?

सूचना आवेदक
प्रवेश कुमार 535/6 जागृति-
विहार मेरठ उ०प्र०
दूरभाष क्रमांक - 08909678896

प्रवेश कुमार
09/06/014

संलग्न :- दस रु० का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक 17F-956914 / / / / / / / समाप्त / / / / / / / / / /

IPO No. 17F 956914 ₹10/-